पंजीकृत संख्या 55-54/72 ।। वन्दे मातरम् ।। 2377799-0141 दूरभाषः
Website : www.rssrashtriya.org E-mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालयः ,82पटेल कॉलोनी302001-जयपुर ,सरदार पटेल मार्ग ,गवर्नमेन्ट प्रेस के पास ,
संरक्षकः सर्वश्री नानक कुन्दनानीमहावीर प्रसाद सिंहल ,राजनारायण शर्मा ,चौथमल सनाढ्य ,संतोष चन्द्र सुराणा ,

(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	देवलाल गोचर	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
44625-94133	03756-94144	56109-94140	96596-94143

प्रेस विज्ञप्ति

थर्ड ग्रेड व पातेय वेतन पर कार्यरत शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को नियमित कर कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने की मांग

जयपुर 07 अगस्त 2020। राज्य के शिक्षा विभाग में आवश्यकता होने पर 6 माह या डीपीसी/सीधी भर्ती से व्याख्याता आने तक कक्षा 11 व 12वीं को अध्यापन करवाने का कार्य दिया गया। पेंशन विभाग ने राज्य के 469 व्याख्याताओं की 6 माह से अधिक तदर्थ सेवाओं को नहीं माना पेंशन योग्य तो राजस्थान के शिक्षा विभाग ने उनकी तदर्थ पद पर पदस्थापन अवधि उनके डीपीसी चयन/सेवानिवृत्ति होने तक कि अवधि को नियमित करने की कार्योत्तर स्वीकृति कार्मिक विभाग एवं आरपीएससी से कार्योत्तर स्वीकृति के अनुसरण में जारी की।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के महामंत्री श्री अरविन्द व्यास ने बताया कि राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 2 के आदेश दिनांक 18 सितंबर 2009 की पालना में उप्रावि प्र.अ. के रिक्त पदों पर 6 माह या डीपीसी के चयन अथवा सीधी से उप्रावि प्र.अ. मिलने तक जो भी पहले हो की शर्त पर राज्य के तकरीबन 25 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों को पातेय वेतन पर उप्रावि प्र.अ., वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। ये शिक्षक सन् 2009 से निरंतर 11 वर्षों तक कार्यरत है। इनमें से कई शिक्षक डीपीसी से चयनित भी हो चुके है तो कतिपय शिक्षकों को रिवर्ट भी कर दिया है। किन्तु इनमें से अधिकांश शिक्षक आज भी कार्यरत है उनकी तदर्थ अवधि में की गई सेवाओं को निरस्त कर उन्हें रिवर्ट भी नहीं किया है तथा तदर्थ अवधि बढ़ाने का आदेश भी जारी नहीं किया है। ऐसे में इन पातेय वेतन पर कार्यरत तदर्थ उप्रावि प्र.अ., वरिष्ठ अध्यापकों की डीपीसी होने से पूर्व की तदर्थ सेवाओं को राज्य के 469 व्याख्याताओं की भांति इनकी तदर्थ सेवाओं को भी नियमित कर कार्योत्तर स्वीकृति जारी की जावे।

प्रदेशाध्यक्ष श्री सम्पत सिंह ने बताया कि 469 व्याख्याताओं की भांति तकरीबन 15 हजार के करीब उप्रावि प्र.अ., वरिष्ठ अध्यापक विगत 11 वर्षों से निरन्तर अपनी सेवाऐं पातेय वेतन पर दे रहे है ऐसे में इनकी उक्त तदर्थ सेवाएं भी पेंशन योग्य नहीं होगी। संगठन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक व माध्यमिक एवं शासन सचिव राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजकर इनकी तदर्थ सेवाओं को नियमित करने की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने की मांग की है।

प्रदेश संगठन मंत्री श्री प्रहलाद शर्मा ने बताया कि 1986 में नियुक्त तदर्थ/अस्थाई नियुक्त शिक्षक जो लम्बे समय से निरन्तर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे है तथा जिनका कंफरमेशन आदेश विभाग द्वारा देरी से जारी किया गया ऐसे शिक्षक राज्य में करीब 1 लाख से अधिक है जिनकी सेवाओं को पंचायत राज विभाग के आदेश की पालना में नियुक्ति तिथि से स्थाई की है उन्हें बाद में डीईओ द्वारा नियमित किये जाने के आदेश दिनांक से ही कंफरमेशन मानते हुए आदेश को जारी करने से पहले के दिनांक की सेवाओं को तदर्थ व अस्थाई माना और इनकी सेवाओं के तकरीबन 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जिला परिषद से स्थाईकरण आदेश बदलने की कार्यवाही कर वेतन वसूली करने की कार्यवाही की जा रही है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय व तत्कालीन राज्य सरकार ने इनकी किसी प्रकार की वसूली

नही करने के आदेश जारी कर रखे हैं। संगठन ने ऐसे सभी शिक्षकों की लंबे समय से चल रही तदर्थ सेवाओं को नियमित करने की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने की मांग की है।

(ताराशंकर शर्मा)
प्रदेश मीडिया प्रभारी
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)